

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर, 2001 (भाद्र 15, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पुधकल: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री के.पी. सिंह, पशुपालन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित, भोपाल (समापनाधीन) का समापक का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय सिंह, संस्कृति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापन अन्तर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (दिनांक 19.01.2000-18.01.2001) पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मियों के स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रकरणों का निराकरण नहीं किये जाने के संबंध में परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के जीरा स्थित चिकित्सालय में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 संन 1999) पर निर्मित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे.

### 5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित  
समय  
1 घंटा  
30 मि.

(1) मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरधरे, सुनील नायक, भूपेन्द्र सिंह, अनूप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा तथा कुंवर विजय शाह, सदस्यगण, चर्चा उठावेंगे.

1 घंटा  
30 मि

(2) मध्यप्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरधरे, सुनील नायक, भूपेन्द्र सिंह, अनूप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रसाल सिंह, कुंवर विजय शाह, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री रणवीर सिंह एवं श्री लालसिंह, सदस्यगण, चर्चा उठावेंगे.

### 6. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

दिनांक 23 अगस्त, 2001 को वित्त मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक-1482) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. गौरीशंकर शेजवार तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठावेंगे.

भोपाल :  
दिनांक : 5 सितम्बर, 2001

डॉ. ए. के. प्यासी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.